DR. MD. MOSHARRAF. HOSSAIN
ASST. PROF. B.N. COLLEGE, DEP - HISTORY
TMBU. BHAGALPUR.

CABINET MISSION PLAN (1946)

1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हुआ जिसमें लार्ड एटली के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बनी, यह दल भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री एटली ने मंत्रीमंडल के तीन सदस्यों, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथ्रिक लारेंस, ए० वी० एलेक्जेंडर, का एक शिष्ट मंडल भारत भेजा ताकि वह भारत के संवैधानिक गतिरोध को सुलझा सके तथा लार्ड वेवेल की सहायता कर सके; इसी उद्देश्य से ब्रिटेन का त्रिसदस्यीय मंत्री मंडल प्रतिनिधि मंडल 23 March 1946 को भारत पहुँचा। इसी शिष्ट मंडल ने लार्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं से परामर्श कर 16 May 1946 को एक योजना प्रकाशित की जिसे Cabinet Mission Plan कहते हैं।

इस मिशन के सदस्यों ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधि से बातचीत की जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की जिसे कांग्रेसी नेता मानने को तैयार नहीं थे। मिशन ने दोनों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयत्न किया; परन्तु लीग के हठधर्मी के कारण इसे सफलता नहीं मिली। यह प्रतिनिधि मंडल मुसलमानों की स्वतंत्रता एवं भारत की अखंडता देखने के इच्छुक थे। अतः इन दोनों सम्प्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित न होने पर मिशन ने भारतीय वैधानिक समस्या सर को हल करने के लिए अपनी योजना प्रकाशित की। मिशन की योजना के अनुसार:-

(I) ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक भारतीय संघ हो परराष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा, एवं संचार का विषय संघ के अधीन हो और इनके लिए संघ को धन प्राप्ति का अधिकार हो। संघ में एक कार्यपालिका और विधानमंडल हो, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त सभी विषय प्रांत के अधीन रहे।

(II) देशी राज्यों के संबंध में बताया गया कि संविधान बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार सार्वभौम प्रभुता का अधिकार देशी राज्यों को हस्तांतरित कर दें। देशी राज्यों को यह अधिकार हो कि वे भारतीय सरकार के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करें अथवा समझौता करे या स्वतंत्र रहे।

(III) प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार हो। प्रत्येक समूह को यह निर्णय करने का अधिकार हो कि कौन-२ विषय समूह के अधिकार में रखे जाएं। प्रत्येक समूह में एक कार्यपालिका और विधानमंडल रहे।

(IV) संघ और समूह के संविधान में इस बात की व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक दस वर्ष के बाद कोई प्रांत अपने विधान मंडल के बहुमत से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करे।

(V) संविधान सभा के गठन के संबंध में कहा गया कि प्रांतीय विधानसभाएं प्रत्येक

Scanned with CamScanner

प्रतिनिधि निर्वाचित करे।
दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में विधानसभाओं के मुसलमान और सिक्ख सदस्य अपने सम्प्रदाय के अनुपात में प्रतिनिधि चुनें। ब्रिटिश भारत के सदस्य 292 और देशी राज्यों के सदस्य 93 हों। देशी राज्यों के निर्वाचन के संबंध में निर्णय बाद में हो; किंतु प्रारंभ में एक समिति उनका प्रतिनिधित्व करे। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में हो और उसकी प्रारंभिक बैठक में सभापति और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव हो। इसके बाद प्रांतों के संबंध में तथा संघ के अधीन रहने का निर्णय करे। समूह "क" में छः हिन्दू बहुसंख्यक मद्रास, संयुक्त प्रांत, बंबई, बिहार, मध्यप्रांत और उड़ीसा; समूह "ख" में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, सीमाप्रांत, सिंध और समूह "ग" में बंगाल तथा आसाम के प्रतिनिधि रहें।

इस प्रकार प्रांतों को पूर्ण स्वाधीनता कर देना एक प्रकार से पाकिस्तान का सार था। यह स्पष्ट था कि ग्रुप ख और ग मुसलमान के आधिपत्य में होंगे!
(ब) कुछ समय के लिए केन्द्र में एक "अन्तरिम सरकार" की स्थापना हो और उसमें प्रमुख भारतीय दलों के प्रतिनिधि रहें। केन्द्रिय शासन के सभी विभाग इन्हीं प्रतिनिधियों के अधीन हों।

इस प्रकार प्रांतों में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार लोकप्रिय मंत्रिमंडलीय संविधान की व्यवस्था की गई थी और प्रांतीय स्वायत्त शासन की योजना लागु कर दी गई किंतु केन्द्र में अंतरिम सरकार की स्थापना सफल सिद्ध न हो सकी। मुस्लिमलीग अपनी मांगों पर अडिग रहा। उसके प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा के फलस्वरूप देश में साम्प्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए; लेकिन वेवेल तथा पंडित नेहरू के बीच समझौता होने के फलस्वरूप अंतरिम सरकार ने देश के शासन की बागडोर संभाल ली। अंतरिम सरकार में संविधान निर्माण की दशा में कोई प्रगति न हो सकी।

प्रधानमंत्री एटली ने 'कैबिनेट प्लान' की रक्षा करने के लिए एक और प्रयत्न किया उसने लंदन में सम्मेलन आयोजित किया। उसमें पंडित नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, मु० जिन्ना आदि ने लंदन में ब्रिटिश सरकार से विचार-विमर्श करते रहे किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। फलतः अंग्रेज सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि "यदि विधानपरिषद में भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हुआ तो उसके द्वारा निर्मित संविधान देश के विरोधी भागों पर नहीं थोपा जाएगा।"

इस घोषणा ने संविधान परिषद के प्रस्ताव पर कुठाराघात किया इसकी बैठक DEC 1946 ई० में दिल्ली में प्रारंभ हुई; लेकिन इसमें लीग का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसी बीच कलकत्ते में हिंदु-मुस्लिम

Scanned with CamScanner

दंगा आरंभ हो गया और सांप्रदायिक संघर्ष शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। पंजाब में लीग के संघर्ष ने शासन में गतिरोध उत्पन्न कर दिया। इसी बीच 11 Dec 1946 को संविधान सभा ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थायी प्रधान चुन लिया और 13 Dec को पंडित नेहरू ने सुप्रसिद्ध उद्देश्यों का प्रस्ताव रखा जो 22 Jan 1947 को पारित हुआ जिसके अनुसार संविधान सभा ने दृढ़ और गंभीर निश्चय किया कि स्वतंत्र प्रभुतापूर्ण गणतंत्र का निर्माण करना है।

अंतरिम सरकार के कार्य संचालन, लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार और लंदन सम्मेलन की असफलता को देखकर प्रधानमंत्री एटली ने 20 Feb 1947 के बाद एवं June 1948 के पूर्व अंग्रेजी सरकार भारत के भाग्य को उसकी जनता की हाल पर छोड़कर चली जाएगी। घोषणा में यह भी कहा गया कि यदि June 48 के पूर्व भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में समझौता नहीं हो सका तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि केंद्रीय सरकार का प्रबंध किसको सौंपा जाए। इस प्रकार June 1948 अंतिम तिथि के रूप में दे दी गई और भारत के विभाजन की समस्या जिसे कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था, उसे स्वीकार कर लिया। इस घोषणा से जिन्ना बहुत उत्साहित हुआ। सत्ता हस्तांतरण का कार्य सुगम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वायसराय वेवेल को बुला कर उसके स्थान पर लार्ड माऊंटबेटन को नियुक्त किया।

गुण:- (I) मिशन ने संपूर्ण भारत के लिए एक संघ निर्माण की बात मानी, पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत की, अर्थात की अखण्डता को स्थिर रखा।

(II) संविधान सभा की रचना प्रजातांत्रिक आधार पर की गई थी क्योंकि उसमे जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व होनी थी। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए नामजदगी और निर्वाचन दोनो ही प्रथाओं को रखा गया। अल्पसंख्यकों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान नहीं दिए गए थे। संविधान सभा में सभी सदस्य भारतीय रहे क्योंकि युरोपीयों को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया।

(III) अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष संरक्षणों की भी व्यवस्था की गई।

(IV) ये प्रस्ताव एक प्रकार से समझौते पर आधारित थे; एतएव इसमे कांग्रेस और मुस्लिम दोनो ही प्रमुख दलों की मुख्य बातों को न्यायोचित और न्यायपूर्ण स्थान दिया गया था। इसी कारण तो इन प्रस्तावो को दोनो ने शीघ्र ही स्वीकार किया। अंतरिम सरकार में समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया गया और संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता तथा अधिकार दिए गए।

Cabinet Mission में कुछ दोष भी थी:→

दोष:→ (I) प्रांतों के समूहों के बारे में प्रस्ताव पूर्णतया स्पष्ट नहीं थे। इसी कारण आगे चलकर इस प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिमलीग में गहरा

Scanned with CamScanner

मतभेद हुआ और अंत में इस योजना के स्थान पर दूसरी योजना आयी।

(ii) यद्यपि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए इसमें पर्याप्त व्यवस्था थी, फिर भी सिक्ख और अनुसूचित वर्ग आदि के लिए समुचित संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी कारण सिक्खों ने इस योजना का समर्थन नहीं किया

(iii) इस योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण का क्रम बहुत ही दोषयुक्त था। आरंभिक कार्यवाही के बाद संविधान सभा के सदस्य पहले अपने-2 समूहों का संविधान बनाते और तब संघ का संविधान बनाया जाता।

(iv) इस योजना में प्रस्तावित संविधान सभा प्रभुसत्तापूर्ण न थी। इसके द्वारा संविधान निर्माण का कार्य एक प्रस्तावित योजना और पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होता था। संविधान सभा की कार्यविधि पर भी प्रतिबंध लगाया, और इसका बनाया हुआ संविधान कुछ शर्तों के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर ही लागू होता।

(v) इस योजना के अंतर्गत बना संविधान भारी-भरकम और जटिल होता था। ~~था~~ इस योजना का सबसे बड़ा दोष प्रांतों के खंड बनाने में थी। इस विषय पर दोनों राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा मतभेद था। कांग्रेस के अनुसार प्रांतों को समूह में रहना अथवा समूह के संविधान को मानना आवश्यक नहीं था। मुस्लिमलीग के अनुसार प्रांतों को समूह के बाहर रहने का अधिकार नहीं था। कैबिनेट मिशन तथा अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिमलीग की व्याख्या को उचित ठहराया। कांग्रेस ने इस आधार पर इस योजना को स्वीकार नहीं किया। आसाम, सीमाप्रांत और सिक्खों के प्रति अन्याय किया गया था; जिससे इस योजना में पाकिस्तान के बीज छुपे हुए परिलक्षित होते हो। सरदार पटेल के शब्दों में "इस योजना में मुसलमान पाकिस्तान का स्वप्न देख रहा था और कांग्रेस वाले अखण्ड भारत का; किंतु आगामी इतिहास ने मुसलमानों के पक्ष में ही निर्णय दिया।"

फिर भी यह योजना भारत के वातावरण में घृणा और आतंक को समन्वित करने का प्रयत्न किया; किंतु भारतीय एकता बनाए रखना असंभव था। कैबिनेट मिशन प्लान में अनेक गुण और दोष विद्यमान थे। इन दोषों के बावजूद भी यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसने स्वतंत्र तथा विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

Scanned with CamScanner